उत्तराखण्ड शासन

मिह्नि। रामिकाय (अ रहने गेला विदास अप्राता) संख्या:-3020/ XXXVI (१)/2010/स्टाम्प-0१/2010 देहरादून: दिनाँक: 14 दिस्सा 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2010) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2012

- संक्षिप्त नाम, विस्तार 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य और प्रारम्भ रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2012 है।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
 - (3) यह ऐसे दिनाँक से प्रवृत होगी, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एतदर्थ नियत करे।

परिभाषाये

- 2. जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
 - (क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2010) अभिप्रेत है;
 - (ख) "महानिबंधक" रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1908) की धारा 3 के अधीन नियुक्त रिजस्ट्रीकरण का महानिरीक्षक अभिप्रेत है;
 - (ग) 'विवाह' से कोई ऐसा विवाह अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 की धारा 2 के खण्ड (ङ) से आच्छादित हो ;
 - (घ) "जिला निबंधक" से धारा 6 के अधीन नियुक्त जिले का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 10 और 11 के अधीन रजिस्ट्रार का कार्य करने वाला अधिकारी भी सम्मिलित है;
 - (ङ) ''स्थानीय निबंधक'' से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उपनिबंधक अभिप्रेत

है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 12 के यथानियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(च) शब्द व अभिव्यक्ति, जो यहाँ प्रयोग हुए हैं और इसमे परिभाषित नहीं न्हूं परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनके क्रमशः वहीं अर्थ होंगे, जें। अधिनियम में परिभाषित है।

जिला निबंधक एवं
स्थानीय निबंधक की
क्षेत्रकारिता विवाहों
का रजिस्ट्रीकरण

3.

इस नियमावली के प्रयोजन के लिए प्रत्येक उपनिबंधक तथा जिला निबंधक क्रमशः अपनी स्थानीय तथा जिले की अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

विवाहों का रजिस्ट्रीकरण

- 4. (1) किसी विवाह के पक्षकार, नियम 10 में निर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर अपने विवाह के सम्बद्ध ब्यौरे को उपनिबंधक के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए रखे गये विवाह रिजस्टर में दर्ज करवा सकते हैं।
 - (2) विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र (विवाह का ज्ञापन)
 अधिनयम में दिए गए अनुसूची 'क' के अनुरूप दो प्रतियों में सम्बन्धित
 अधिकारिता वाले उपनिबंधक को, जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह
 सम्पन्न हुआ हो अथवा जिसकी अधिकारिता के भीतर स्थायी रूप से
 निवास करता हो, को प्रस्तुत किया जायेगा किन्तु जिला निबंधक
 स्वविवेकानुसार, ऐसे आवेदन-पत्र ग्रहण कर सकेगा। आवेदन-पत्र की
 एक प्रति उपनिबंधक कार्यालय में तथा एक प्रति जिला निबंधक कार्यालय
 में अनुरक्षित की जायेगी।
 - (3) उपनियम (2) मे उल्लिखित आवेदन-पत्र के साथ पक्षकारों की पहचान तथा आवेदन-पत्र में आये हुये अन्य ब्योरों की सत्यता के सम्बन्ध में किसी संसद सदस्य, राज्य विधान मण्डल का सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, ग्राम सभा के प्रधान, न्याय पंचायत के सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य/अध्यक्ष, क्षेत्र समिति के सदस्य/प्रमुख नगरपालिका, नगर निगम, टाऊन बोर्ड, कैन्टोन्मैन्ट बोर्ड के सदस्य/ अध्यक्ष, अर्थात् स्थानीय निकाय के सभासद/सदस्य/पार्षद/अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा और यदि विवाह का कोई पक्षाकार भारत के

बाहर का निवासी हो तो उस पक्षकार की पहचान तथा आवेदन—पत्र में आये हुये अन्य ब्योरों की सत्यता के संबंध में पक्षकार की नागरिकता वाले देश के भारत स्थित कन्सुल या उप—कन्सुल द्वारा प्रदत्त पुष्टि से संबंधित पत्र/एन०ओ०सी० आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

अनिवार्य विवाहों का रजिस्टर/ रजिस्ट्रेशन अभिलेख

- (1) विवाह के रंजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा अधिनियम में दी गई अनुसूची 'ख' में क्रमवार दर्ज किया जायेगा।
- (2) विवाह के रिजस्ट्रेशन के प्राप्त आवेदन—पत्रों को अस्वीकार करने संबंधी प्रविष्टि रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा अधिनियम में दी गई अनुसूची 'ग' में कमवार दर्ज की जायेगी।
- (3) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रत्येक ऐसे सादे रिजस्टर के जो उसे जारी किया गया हो, मुख्य पृष्ठ पर, प्रत्येक ऐसे रिजस्टर में वस्तुतः अन्तर्विष्ट पृष्ठों की संख्या को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा और उस पर रिजस्टर प्राप्त होने / प्रारम्भ किये जाने का दिनाँक भी लिखेगा। रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रयुक्त रिजस्टरों पर क्रमवार संख्या भी अंकित की जायेगी।
- (4) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उस वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या प्रमाणित करेगा और जब कभी कोई रजिस्टर भर जाय तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उस विशेष रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या तथा अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या प्रमाणित करेगा।

आवेदन—पत्रों का प्रस्तुतीकरण / पृष्ठांकन

6.

(1) प्रत्येक आवेदन—पत्र उसकी द्वितीय प्रतिलिपि सहित रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के समक्ष वर द्वारा ही प्रस्तुत किया जायेगा और उसके निष्पादन के लिए उसे वधू द्वारा स्वीकार किया जायेगा। वर एवं वधू की पहचान दो गवाहों द्वारा की जायेगी, जिनके द्वारा अपनी पहचान के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किये जायेंगे। रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन—पत्र एवं उसकी द्वितीय प्रतिलिपि की दूसरी ओर निम्नलिखित

पृष्ठांकन के साथ उस पर यथाविधि हस्ताक्षर करके पृष्ठाांकित किमा जायेगा; अर्थात्:-

''প্री	पुत्र श्री	
निवासी	पहचान क्रमांकने अपने	विवाह
	के ज्ञापन को आज दिनांक	
को कार्यालय उप नि	बन्धकमें प्रस्तुत	किया,
जिसका निष्पादन श्री	ामती पत्नी	/पुत्री
%]	निवासी	
पहचान क्रमांक	ने भी स्वीकार किया, जिनकी प	पहचान
श्री	पुत्र श्री	
निवासी	पहचान क्रमांक	व
	पुत्र श्री	
निवासी	पहचान क्रमांक	ने की।
	हस्ताक्षर	

निबंधक विवाह का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण हस्ताक्षर व अंगुष्ठ चिहन

हस्ताक्षर व अंगुष्ठ चिहन

वर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ चिहन वधू हस्ताक्षर व अंगुष्ठ चिहन

प्रथम गवाह

द्वितीय गवाह।

- (2) उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा अधिनियम में दी गई अनुसूची 'ख' मे संबधित प्रविष्टियों को पूर्ण कर वर एवं वधू तथा दोनों गवाहों के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ चिहन लेते हुए अधिनियम में दी गई अनुसूची 'घ' में निर्धारित प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
- (3) प्रस्तुत घोषणा पत्र, यदि निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण न करता हो तो रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रविष्टि कर अधिनियम में दी गई अनुसूची 'च' में आवेदन—पत्र को अस्वीकार किये जाने संबंधी सूचना निर्गत करेगा।



- (4) प्रस्तुत घोषणा पत्र में यदि वर्णित तथ्यों / साक्ष्यों के अनुसार वर अथवा वधू अवयस्क हो तो रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी अधिनियम में दी गई अनुसूची 'च' में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन—पत्र को अस्वीकार किये जाने संबधी सूचना निर्गत करते हुए इस विषय में अधिनियम में दी गई अनुसूची 'छ' में स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा।
- (5) अधिनियम की धारा 20 में उपबन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी विवाह का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण, किसी भी अन्य अधिनियम यथा (क) इण्डियन क्रिस्चियन मैरिज ऐक्ट, 1872; (ख) काजीज ऐक्ट, 1880; (ग) पारसी मैरिज एंड डिवोर्स ऐक्ट, 1936; (घ) हिन्दू मैरिज ऐक्ट, 1955; (ङ) द स्पेशियल मैरिज ऐक्ट, 1954; (च) द फोरॅन मैरिज ऐक्ट, 1969 एवं उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्त अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हुये विवाहों के ज्ञापन, जो कि उसके प्राप्त होंगे, को भी दिनांक के क्रमानुसार पृथक-पृथक अनुरक्षित रिजस्टर में फाईल करेगा।
- (6) अधिनियम की धारा 13 में उपबन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण स्वयंमेव अथवा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि अमुक विवाह पक्षकारों द्वारा पंजीकृत नहीं कराया गया है, अधिनियम में दी गई अनुसूची 'ज' मे निर्धारित प्रपत्र पर पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा।

अथवा सीधे प्राप्त करायेगा और यदि पिछले माह में कोई आवेदन-पत्र

- आवेदन-पत्र भेजना 7. प्रत्येक माह के सातवें दिनांक को अथवा उसके पूर्व रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी पिछले माह के दौरान प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को द्वितीय (डुप्लीकेट) प्रतिलिपियाँ एक अग्रसारण-पत्र के साथ, जिसमें उन आवेदन-पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियों की क्रम संख्या इंगित की जायेगी, जो साथ भेजे गये हो, जिला निबंधक को रिजस्टर्ड डाक द्वारा भेजेगा
- प्राप्त न हुआ हो तो सूचना शून्य में भी प्रेषित की जायेगी।

 द्वितीय प्रतियाँ 8. नियम ७ के अधीन भेजे गये आवेदन-पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियाँ प्राप्त
 होने पर जिला निबन्धक ऐसी द्वितीय प्रतिलिपियों को जिला निबन्धक

कार्यालय मे अनुरक्षित करेगा।

जिल्दबन्दी आवेदन । पत्र और विवाह पंजीकरण प्रमाण— पत्र रजिस्ट्रार नियम 4 के अधीन यथाविधि दिये गये प्रत्येक आवेदन—पत्र क्रि क्रमवार प्राप्त हुए आवेदन—पत्र एवं उक्त आवेदन—पत्र के अनुक्रम निर्गत किये गये विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्रों की क्रमवार जिल्दबन्दी करायेगा, जो कि 400 पृष्टों के अनुसार निर्मित होगी। उक्त निर्मित जिल्द स्थायी रूप से कार्यालय में अनुरक्षित की जायेगी।

आवेदन--पत्रों का 10. शुल्क

- (1) विवाह के रजिस्ट्रीकरण के निमित्त आवेदन-पत्र ग्रहण करने के लिए :--
 - (क) यदि विवाह के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—पत्र विवाह संस्कार होने से दिनाँक से नब्बे दिन के भीतर किया जाय तो शुल्क ₹ एक सौ एक होगा और यह शुल्क रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी को नकद अदा किया जायेगा;
 - (ख) यदि विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—पत्र विवाह संस्कार होने के दिनांक से नब्बे दिन के पश्चात् दिया जाय तो शुल्क ₹ दो सौ होगा और वह रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को नकद अदा किया जायेगा।
 - (2) विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त करने हेतु शुल्क ₹ पंचास होगा, जो कि रंजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को नकद अदा किया जायेगा। प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन रंजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग—2 से परिशिष्ट 1 के प्रपत्र संख्या 28 में किया जायेगा, जिस पर ₹ एक की कोर्ट फीस चस्पा होगी एवं ₹ दस का स्टाम्प शुल्क देय होगा तथा साधारण नकल के लिये ₹ पंच्वीस शुल्क देय होगा, जो कि एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जायेगी। आवश्यक नकल के लिये ₹ पंचास शुल्क देय होगा, जो कि तीन दिन में उपलब्ध करायी जायेगी तथा अतिआवश्यक नकल के लिये ₹ एक सौ शुल्क देय होगा, जो कि अगले दिन उपलब्ध करायी जायेगी। प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन रंजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग—2 से परिशिष्ट 1 के प्रपत्न संख्या 9 में प्राविधानित रंजिस्टर में दर्ज किये जायेगे।
 - (3) मुआयना करने के लिए फीस :---
 - (क) यदि प्रविष्टि चालू वर्ष के सम्बन्ध में हो तो शुल्क ₹ पच्चीस मात्र

होगी,

- (ख) यदि प्रविष्टि उससे पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में हो तो शुल्क ₹ पचास मात्र होगी और इसी प्रकार, प्रत्येक वर्ष के लिए ₹ दस की अतिरिक्त फीस देय होगी।
- (4) मुआयना हेतु आवेदन रिजस्ट्रेशन मैनुअल भाग—2 से परिशिष्ट 1 की प्रपत्र संख्या 30 मैं किया जायेगा, जिस पर आवेदन शुल्क ₹ दस मुआयना फीस के अतिरिक्त देय होगा। मुआयना हेतु आवेदन रिजस्ट्रेशन मैनुअल भाग—2 से परिशिष्ट 1 के प्रपत्र संख्या 11 मे प्राविधानित रिजस्टर में दर्ज किये जायेंगे।
- रसीद का रूप-पत्र 11. इस नियमावली के अधीन दी गयी फीस की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए रिजस्ट्रेशन मैनुअल भाग—2 से परिशिष्ट 1 के प्रपत्र संख्या 8 में दी गयी रसीद बही से एक रसीद जारी की जायेगी।
- शुल्क प्राप्ति रजिस्टर 12. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, एक शुल्क प्राप्ति रजिस्टर रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग—2 से परिशिष्ट 1 के प्रपन्न संख्या 13 में रखेगा अथवा रखवायेगा। नियमावली के अधीन प्राप्त सभी फीस की प्रतिदिन शुल्क प्राप्ति बही में प्रविष्टि की जायेगी और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सम्पूर्ण दिवस में फीस की कुल वसूली की शुद्धता का सत्यापन करने के प्रतीक स्वरूप उस पर हस्ताक्षर करेगा एवं प्रतिदिन प्राप्त शुल्क को अगले कार्य—दिवस को राजकीय कोष में जमा करायेगा।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी की शक्तियाँ/कर्त्तव्य 13. (1) यदि नियम 4 के अधीन रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र किसी प्रकार अपूर्ण या त्रुटि हो अथवा यदि हिन्दू विवाह रिजस्टर से किसी प्रमाणित उद्धरण के लिए आवेदन-पत्र के साथ नियम 10 में निर्दिष्ट फीस अदा न की गयी हो तो रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी विवाह के पक्षकारों से ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, यथास्थिति, त्रुटि को ठीक करने या उक्त फीस का भुगतान करने की अपेक्षा करेगा, ऐसा न करने पर आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।



- (2) यदि ऐसा आवेदन--पत्र प्राप्त करने वाले रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी को असे प्राप्त करने की अधिकारिता न हो तो उसे आवेदक को समुचित प्राधिका को प्रस्तृत करने के लिए लौटा देगा।
- (3) यदि रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी रिजस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त किसी आवेदन— पत्र पर कोई आपित व्यक्त करता है तो वह उसे जिला निबंधक को भेज देगा, जो उस पर तथा अपने द्वारा प्राप्त आपित्तयों पर निर्णय देगा तथा उसका निर्णय, जहाँ तक रिजस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन—पत्र की कार्यवाही करने का प्रश्न है, किसी सक्षम न्यायालय के किसी डिक्री आदेश के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।
- (4) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा विवाह के ज्ञापन को पंजीकृत करने के सदाशयतापूर्वक की गई इन्कारी के किसी कारण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा, ऐसे प्रकरणों में जिला निबंधक द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
- (6) उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2010) की धारा 15 की उपधारा (2) में जिला निबंधक द्वारा रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के सम्बन्ध में न्यायालय को कोई भी शिकायत करने से पूर्व धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन महानिबंधक का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। महानिबंधक द्वारा सम्बधित रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी का पक्ष प्राप्त करने के उपरान्त एवं उस पर सम्यक् विचारोपरान्त ही ऐसा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा अथवा अन्य अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- (7) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी का, उसे प्राप्त विवाह के ज्ञापन को पंजीकृत करने संबंधी अनुरोध पत्र/घोषणा पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता एवं प्रमाणिकता से कोई सरोकार नहीं होगा। ऐसे बिन्दु आवश्यकता पड़ने पर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत किये जायेगे।
- (8) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी का, उसे प्राप्त विवाह ज्ञापन में वर्णित विवाह की सत्यता एवं वैधता के संबंध में विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामले आवश्यकता पड़ने पर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।



अधीक्षण

14. रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी / उपनिबंधक अपने कर्त्तव्यों का पालन तथा शिक्तियों का प्रयोग महानिरीक्षक रिजस्ट्रीकरण जो पदेन, राज्य के लिए विवाहों के महानिबंधक होंगे, के सामान्य अधीक्षण के अधीन करेगा।

आवेदन—पत्र का 15. प्रारूप कार्यालय में रखना

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप कार्यालय में रखा जायेगा। पक्षकार अपने विकल्प पर टंकित प्रपत्रों का प्रयोग कर सकते है।

प्रपत्र

रजिस्टरों तथा अभिलेखों का अनुरक्षण

- 6. (1) नियमावली में प्राविधानित सभी रिजस्टर तथा नियम 17 में निर्दिष्ट अनुक्रमणिकाएं भर जाने के छः वर्ष के पश्चात् रिजस्ट्रीकरण जिले के मुख्यालय पर केन्द्रीय अभिलेख कक्ष को भेज दिये जायेगे और वहाँ पर स्थायी रूप से रखे जायेंगे।
 - (2) सभी अन्य अभिलेख जैसे कि विवाह के घोषणा पत्र के साथ प्राप्त संलग्नक रिजस्टरों का मुआयना करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं रिजस्टर तथा रिजस्टरों से उद्धरण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन एवं रिजस्टर तथा सामान्य पत्राचार एवं अन्य सभी पत्राजात आदि एक वर्ष में, रसीद बही तीन वर्ष में, शुल्क प्राप्ति रिजस्टर तथा चालान छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा जिला निबन्धक की अनुमित प्राप्त कर विनष्ट कर दिये जायेंगे।

विवाह—रजिस्टर में प्रविष्टियों की अनुकमणिका बनाना

- 17. (1) विवाह रिजस्टर में सभी प्रविष्टियों की अनुक्रमणिका इस नियमावली से संलग्न अनुसूची रिजस्टर प्रारूप 'झ' में बनायी जायेगी, जिनमें वर के नाम से एवं वधू के नाम से प्रविष्टि की जायेगी और ऐसी अनुक्रमणिका के निरीक्षण हेतु शुल्क के रूप में :---
 - (क) यदि प्रविष्टि चालू वर्ष के सम्बन्ध में हो तो ₹ पच्चीस; और
 - (ख) यदि प्रविष्टि उससे पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में हो तो ₹ पचास और इसी प्रकार, प्रत्येक वर्ष के लिए ₹ दस की अतिरिक्त फीस देय होगी।
 - (2) प्रत्येक वर्ष के लिए ₹ दस की अतिरिक्त फीस देय होगी, जो कि किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

- 18. (1) उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह (रिजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1973 यथाप्रवृचे उत्तराखण्ड के अन्तर्गत रिजिस्ट्रीकृत होने वाले समस्त विवाहों के रिजिस्ट्रीकरण कार्यवाही ऐसी दिनांक से, जो कि उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2011 के प्रवृत्त होने का दिनांक नियत किया जाय, उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2011 के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
 - (2) उपर्युक्त नियमावली में किन्हीं प्रक्रियात्मक तथ्यों का उल्लेख न होने की स्थिति में उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2010) से आच्छादित विवाहों के रिजस्ट्रीकरण की प्रक्रिया सन्दर्भगत तथ्य के सम्बन्ध में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम एवं तद्धीन बनाई गई नियमावली में निर्धारित नियमों के अनुसार सम्पादित होगी।

आज्ञा से,

प्रस्तराज्य) अप्रसंस्वा

अनुसूची 'क'

विवाह का ज्ञापन (धारा 5 व 6)

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010	
सेवा में (इस प्रपत्र की समस्त प्रविष्टियाँ भरी जानी अनिवार्य है)	
निबंधक	
विवाहो का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण	
जिलां	
उत्तराखण्ड।	
महोदय, हम पर लागू, प्राविधानो के अनुसार (पक्षकारो पर लागू	Т
धर्म रुढि परम्परा का उल्लेख किया जाये)व	p p
के प्रधानिक का 1991 हिन्ति का 1991 हिन्ति	١,
्र — भे और जा अनुमेश करते है कि हमार विवाह का विस्तालाख	()
विवरणियाँ उत्तराखण्ड विवाही को आनवीय राजस्ट्राकरण राजस्टर	H
रजिस्टीकत कर दी जाये :-	
विवाह की विवरणियाँ	
 विवाह की तारीख विवाह का स्थल (स्थान के पर्याप्त विवरण के साथ ताकि स्थान का 	ſ
पता लगाया जा सके)	
3. वर की विवरणियाँ –	
(क) पूरा नाम और व्यवसाय(ख) मूल निवास स्थान (केवल विवरण भरा जाये)	
(ख) नूल विवास स्वास (बन्धर स्वास)	
(ग) आयु	
(घ) निवास का सामान्य स्थान (पिन कोड सहित)	
(ङ) स्थायी पता (पिन कोड सहित)	
(ङ) स्थाया पता (१५५ पगड सार्टर)	
(च) आवेदन देते समय पता (पिन कोड सहित)	••••
(छ) विवाह के समय प्रारिथति,—अविवाहित / विधुर / तलाकशुदा	
(ज) पहचान संबंधी साक्ष्यो का विवरण / क्रमांक तारीख	
हस्ताक्षर	
टिप्पणी:- उपरोक्त बिन्दु संख्या क से छ के संबंध में आवश्यक प्रमाण प	गत्रो क
की सत्यापित प्रति यथा भारत निवार्चन आयोग द्वारा निर्गत वोटर आई०० की सत्यापित प्रति अथवा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति अथवा आयकर विभ	डाए माग
्रदारा निर्गत PAN/GIR की सत्यापित प्रति अथवा सरकारी विभाग / सरव	गरी
अन्डरटेकिंग / स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र की सत्या	पित

टिप्पणी:— उपरोक्त बिन्दु संख्या क से छ के सबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र। की सत्यापित प्रति यथा भारत निवार्चन आयोग द्वारा निर्गत वोटर आई०डी० की सत्यापित प्रति अथवा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति अथवा आयकर विभाग द्वारा निर्गत PAN/GIR की सत्यापित प्रति अथवा सरकारी विभाग / सरकारी अन्डरटेकिंग / स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र की सत्यापित प्रति अथवा बैंक अथवा पोस्ट आफिस की पास बुक जिसमें फोटो प्रमाणित हो की सत्यापित प्रति अथवा पेंशन बुक की सत्यापित प्रति अथवा विकलॉग प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा शस्त्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा की सत्यापित प्रति विधुर होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति विधुर होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं तलाकशुदा होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा

11

विवाह विच्छेद की डिग्री की सत्यापित प्रति एवं विवाह के आवेदन पत्र के पक्षकारों की आयु के संबंध में कोई अन्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति तथा विवाह ज्ञापन के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने का समय यदि विवाह की तिथि दो वर्ष के अवधि से कम हैं तो विवाह निमन्त्रण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा विवाह संस्कार के सम्पन्न होने के स्थान के संबंध में किसी अन्य प्रमाण की सत्यापित प्रति, सलंग्न किये जाये। 4. वध का विवरण— (क) पुरा नाम और व्यवसाय (ख) मूल निवास स्थान (केक्ल विवरण भरा जाये)..... (ग) आयु..... (घ) निवास का सामान्य स्थान(पिन कोड सहित)..... (ङ) स्थायी पता(पिन कोड सहित)..... (च) आवेदन देते समय पता(पिन कोड सहित)..... (छ) विवाह के समय प्रास्थिति,-अविवाहित / विध्र / तलाकशुदा (ज) पहचान संबंधी साक्ष्यों का विवरण / क्रमांक..... तारीख: वध् के हस्ताक्षर टिप्पणी:- उपरोक्त बिन्द संख्या क से छ के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रति यथा भारत निवार्चन आयोग द्वारा निर्गत वोटर आई०डी० की सत्यापित प्रति अथवा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति अथवा आयकर विभाग द्वारा निर्गत PAN/GIR की सत्यापित प्रति अथवा सरकारी विभाग / सरकारी अन्डरटेकिंग / स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र की सत्यापित प्रति अथवा बैंक अथवा पोस्ट आफिस की पास बुक जिसमें फोटो प्रमाणित हो की सत्यापित प्रति अथवा पेंशन बुक की सत्यापित प्रति अथवा विकलॉग प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा शस्त्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा स्वतन्त्रता सेनानी प्रमाणक पहचान पत्र की सत्यापित प्रति अथवा जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, विध्र होने की दशा में मृत्यू प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं तलाकश्रदा होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री की सत्यापित प्रति एवं विवाह के आवेदन पत्र के पक्षकारों की आयु के संबंध में कोई अन्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति तथा विवाह ज्ञापन के पंजीकरण हेत प्रस्तुत होने का समय यदि विवाह की तिथि दो वर्ष के अवधि से कम है तो विवाह निमन्त्रण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा विवाह संस्कार के सम्पन्न होने के स्थान के संबंध में किसी अन्य प्रमाण की सत्यापित प्रति, सलंग्न किये जाये। 5. वर के पिता का पूर्ण विवरण-(क) पूरा नाम.....

(ग) व्यवसाय

(घ) आवास का सामान्य स्थान......

(ङ) आवेदन देने के समय पता (पिन कार्ड साहरा)
(च) क्या जीवित हैं या मृतवर के तारीख्ः
पिता के हस्ताक्षर नोट :– वर के पिता के हस्ताक्षर बाध्यकारी नहीं हैं।
6. वधू के पिता या अन्य संरक्षक का विवरण— (क) पूरा नाम
(ख) आयु: (ग) व्यवसाय
(घ) आवास का सामान्य स्थान (ङ) आवेदन देते समय पता(पिन कोड सहित)
(च) वधू के संरक्षक का सम्बन्ध तारीख: वधू के
पिता / संरक्षक के हस्ताक्षर टिप्पणी:— जहाँ आवेदन देने की तारीख को वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक है वहाँ वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर बाध्यकारी नहीं है परन्तु जहाँ वह आवेदन देने की तारीख को 18 वर्ष से कम है और विवाह की तारीख को ऐसा विवाह तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्पादित रहा हो, तो उसके पिता अथवा संरक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होगे। 7. प्रोहित का विवरण:
(क) पूरा नाम
(ख) आयु (ग) निवास का सामान्य स्थान
(घ) पता नोट- यदि विवाह का समय आवेदन देने की तारीख से एक वर्ष हो चुका है, तो पुरोहित का विवरण अंकित किया जाना बाध्यकारी नहीं है
उसके हस्ताक्षर भी बाध्यकारी नहीं है तारीख
पुरोहित के हस्ताक्षर घोषणा
9/4 ⁻ II

हम सत्यनिष्ठा से सशपथ घोषणा करते हैं कि जहाँ तक हमारे विवाह के निष्पादन से सम्बन्ध है। आवेदन पत्र में दिये गये विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है, और शेष प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है, और विश्वास के अनुसार सही है। यदि प्रदत्त सूचनाये त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व हम निष्पादकगण का होगा—ईश्वर हमारी सहायता करे।

 वर के हस्ताक्षर तारीख वधू के हस्ताक्षर तारीख



- 9. -1--गवाह
- (क) पूर्ण नाम
- (ख) पिता का नाम
- (ग) निवासी(पिन कोड सहित)
- (घ) पहचान संबंधी साक्ष्यो का विवरण / कमांक.....

हस्ताक्षर तारीख

2-गवाह

- (क) पूर्ण नाम
- (ख) पिता का नाम
- (ग) निवासी (पिन कोड सहित)
- (घ) पहचान संबंधी साक्ष्यो का विवरण / कमांक.....

हस्ताक्षर तारीख

> हस्ताक्षर व मोहर तारीख

(संसद सदस्य, राज्य विधान मण्डल का सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, ग्राम सभा के प्रधान, न्याय पंचायत के सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य/अध्यक्ष, क्षेत्र समिति के सदस्य/प्रमुख नगरपालिका, नगर महापालिका, टाउन बोर्ड, कैन्टोन्मैन्ट बोर्ड के सदस्य/अध्यक्ष, अर्थात स्थानीय निकाय के सभासद/सदस्य/पार्षद/अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त होगा और यदि विवाह का कोई पक्षकार भारत के बाहर का निवासी हो तो उस पक्षकार की नागरिकता वाले देश के भारत स्थित कन्सुल या उप—कन्सुल द्वारा प्रदत्त पुष्टि से संबंधित पत्र/एन०ओ०सी०)

टिप्पणी—जहाँ कोई व्यक्ति दोनों पक्षकारों की पहचान अथवा अन्य समस्त विवरणियाँ प्रमाणित नहीं करता है वहाँ एक से अधिक व्यक्तियो द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा।

प्ररूप—ख (नियम 5 का उपनियम (1) देखें) (विवाहों के रिजस्ट्रीकरण का रिजस्टर) उत्तराखण्ड विवाहें का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 के अधीन

्र _{क्रम} ःक	आवेदन	आवेदन	विवाह	वर का	वधू का	प्रथम	द्वितीय	विवाह के
	kЪ	पत्र	की	नाम एवं	नामें एवं	गवाह	गवाह का	रजिस्ट्रीकरण
	प्रस्तुत	प्रस्तुत	तारीख	उसके माता	उसके	का नाम	नाम एवं	की संख्या
	करने की	करने	1	अथवा पिता	भाता	एवं	उसके	और प्रमाण
!	तारीख	वाले		का नाम	अथवा	उसके	माता—पिता	पत्र जारी
		व्यक्ति		तथा पता	पिता का	माता-पि	का नाम	करने की
		का नाम,		हस्ताक्षर /	नाम तथा	ता का	तथा पता	तारीख
-		पिता का		अगुष्ट	पता	नाम तथा	हरताक्षर /	
]	नाम और		चिन्ह एवं	हस्ताक्षर	पता	अगुष्ठ	<u> </u>
	1	पता	1	पहचान	/	हरताक्षर	चिन्ह एवं	į
	 -	i		विवरण	अगुष्ट	/	पहचान	
!	İ			कमांक	चिन्ह एवं	अगुष्ठ	विवरण	
	ĺ	1		सहित	पहचान	चिन्ह एवं	क्रमांक	
					विवरण	पहचान	सहित	
					कमांक	विवरण		!
					सहित	क्मांक		
			!			सहित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररुप—ग (नियम 5 का उपनियम (2) देखें) (आवेदन पत्र को प्रत्यावर्तित या अस्वीकार करने का रजिस्टर) उत्तराखण्ड विवाहें। का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 के अधीन

. कुमांक	आवेदन	आवेदन	विवाह के	विवाह	प्रत्यावर्तित	प्रत्यावर्तित
7 117	पत्र	पत्र	पक्षकारों	की	किया गया	अथवा
	प्रस्तुत	प्रस्तृत	का नाम	तारीख	या	अस्वीकार
ļ	करने	करने	एवं उनके		अस्वीकार	करने का
:	की	वाले	माता-पिता		किया गया	कारण
1	तारीख	व्यक्ति	अथवा		है।	
!		का नाम,	संरक्षक का			
		पिता का	नाम तथा			
		नाम और	पता और			
		पता				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्ररुप-ध (नियम 6 का उपनियम (1) देखें) (विवाह के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र) उत्तराखण्ड विवाहें। का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 के अधीन प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र श्री निवासी और श्रीमतीपत्नी श्रीनिवासी पुत्र श्री के विवाह के ज्ञापन दिनांक में दिये गये विवरणानुसार दिनांक को स्थान को स्थान पर अनुष्ठापित विवाह के ज्ञजपन को जिल्द संख्या के पृष्ठ संख्या में कमांक पर दिनांक को दर्ज

हस्ताक्षर निबन्धक विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

प्रपत्र-च

कर लिया गया है।

दिनांक

तारीख

(नियम 6 का उपनियम (2) देखें)

(विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र) को वापस या अस्वीकार किये जाने संबंधी प्रारूप) उत्तराखण्ड विवाहें। का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 के अधीन

·	अधारा
	श्री द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांकश्री के मध्य अनुष्ठापित
\ C	श्री हारा प्रस्तुत अविदन पत्र विभाग के मध्य अनुष्ठापित नानुसार श्री एवं श्रीमती के मध्य अनुष्ठापित को पंजीकत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया
जो कि ज्ञाप	नानुसार श्री एव श्रीमता प्रतिवार जाने हेतु प्रस्तुत किया गया को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया
विवाह । ५ना	कको पंजीकृत किये जीन हतु प्रस्तुत विस्तानक केको पंजीकृत किये जीन हतु प्रस्तुत विस्तानकी, 2010 विखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण नियमावली, 2010
हे का उत्तर	खिण्ड विवाहों का अनिवाय रिजिस्ट्रीकरण नियमावरा, 2010 13 के उप नियम 1,2 के अन्तर्गत निम्न कारणों से वापस
किया जाता	
14741 -11	
	्र – (a) के खाद (घ) के अन्तर्गत अन् रक्षित
तथा निय	ाम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत अनुरक्षित त्र को प्रत्यावर्तित या अस्वीकार करने के रजिस्टर के कम में अंकित किया जाता है।
आवेदन प	त्र को प्रत्याविति या अस्यायम् प्राप्त है।
संख्या	त्र को प्रत्याविति या अस्पापमार प्राप्ता है।
	·

हस्ताक्षर निबन्धक विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

प्रापत्र—छ (नियम 6 का उपनियम (3) देखें) उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 के

i",

96

n.

अधीन (विवाह के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना दिये जाने संबंधी प्रारूप)

थानाध्यक्ष

हस्ताक्षर निबन्धक विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

प्रारुप—ज (नियम 6 का उपनियम (5) देखें) (रजिस्टर न कराये जाने की स्थिति में नोटिस का प्रारूप) उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 के अधीन

सवा म :
श्रीमती / श्री
711 1017
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
यह संज्ञान में आया है कि (यदि स्त्रोत पता हो तो
उल्लिखित किया जाय परन्त आवश्यक नहीं) आपके मध्य (वधू और वर
का नाम उल्लिखित किया जाय) दिनांक की रथान
पर विवाह अनुष्ठापित हुआ है।
एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप
अधोरजनाभरी के समक्ष अपने विवाह को रजिस्टर कराने हेतु विवाह क
ज्ञापन को उत्तराखण्ड विवाहें के अनवार्य रजिस्ट्रीकरण आधानयम,
2010 की धारा 5 के अनरूप अनराची 'क' में विहित प्रारूप पर, प्रकरण

में देय शुल्क के साथ प्रस्तुत करें, यह भी अवगत हो कि ऐसा न करने पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन आपको अभियोजित किया जा सकता है।

दिनांक

हस्ताक्षर निबन्धक विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

प्रारुप-झ

(नियम 17 देखें) (विवाह रजिस्टर में प्रविष्टियों की अनुकमणी बनाने का प्रारूप) उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 के अधीन

		Δ			<u> </u>		
नाम	घषिणा पत्र	विवाह	विवाह	घोषणा	जिल्द	पृष्ठ	कमाक
और	का	का	के	पत्र को	संख्या	संख्या	
पिता	प्रस्तुतीकरण	दिनांक	घोषणा	दर्ज			
का	दिनाक		पत्र में	किये			
नाम			पक्षकार	जाने			
तथा				का			
पता		i		दिनांक		ļ	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.



प्ररुप-ख

(देखिये नियम 3 के उपनियम (2) का खण्ड (घ)) (आवदेन पत्र को प्रत्यावर्तित या अस्वीकार करने का रजिस्टर)

क्रमांक	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का	्र विवाह के पक्षकार और विवाह की तारीख	प्रत्यावर्तित किया गया या अस्वीकार किया गया है	प्रत्यावर्तित अथवा अस्वीकार करने का कारण
ļ	नाम	3	4	5

प्ररुप-ग (देखिये नियम 5 के उपनियम (2) का परन्तुक देखें) विवाह रजिस्ट्रेषन पावती प्रपत्र

•	वि	वाह राजर	ጜዾ ኯ	भाप कि	((I א יא)	के	मध्य	विव	गह	के
श्री		अार	씨년 	ID		.,.97	'-' ट	 ारा	प्रस	तत
श्री रजिस्ट्रीकरण	के लिए	आवर्दन	पत्र	શ્રા	***************************************		a	1 (1	,,,	3
किया गया										
तारीख							-			

हस्ताक्षर उपनिबंधक अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रीकरण

प्ररुप—घ (नियम 6 का उपनियम (2) देखें) घोषणा का प्रपत्र

मेरे	द्वारा श्र	ो आवेदन	पत्र रि	देनांक			ानयम	6
(प्रमाण पत्र को प्राप्त वि	. 4 -		ड विवा	हों का ३	अनिवार्य र	रजिस्ट्री	करण	
C C	2010 2	. अधीन अन	नराक्षत	आनवाय	19915	# Z~	भाग	
आधानयम, के क्र	ज्म	वर्ष	Н 🤇	आकत ।	मुपा गपा	1		
तारीख								

हस्ताक्षर उपनिबंधक विवाहो का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण



) [

(नियम 6 का उपनियम (3) देखें) (रजिस्टर न किये जाने की स्थिति में नोटिस का प्ररुप)

सेवा में:-	श्रीमती / श्री
	Million A.
	And the second s
	्र चोन पता हो तो
	के से आग है कि (यदि स्त्रारा करा तर
	यह सज्ञांन में आया है कि (यदि स्त्रोत पता हो तो
a 0 f	को स्थान
उल्लिखत ।	यह सज्ञान में आया है कि (यदि स्त्रात पता ए यह सज्ञान में आया है कि (यदि स्त्रात पता ए किया जाय परन्तु आवष्यक नहीं) आपके मध्य (वधू और वर क्वित किया जाय) दिनांकको स्थान
का नाम उदि	क्या जाय परन्तु आवष्यक नहीं) आपक नव्य (पर क्लिखत किया जाय) दिनांकको स्थान क्लिखत किया जाय) दिनांकको स्थान को
	रितियार करने हेत् विवाह पर कार्य
नाम्य अपन	एतदद्वारा आपसे अपेक्षा की जाता है कि जान को एतदद्वारा आपसे अपेक्षा की जाता है कि जापन को विवाह के ज्ञापन को विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 की विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण पर प्रस्तुत करें।
41401 011	
उत्तराखण्ड	विवाहों के अनिवार्य रिजिस्ट्रीकरण आया निया करें। अनुरुप अनुसूची 'क' में विहित प्ररुप पर प्रस्तुत करें। अनुरुप अनुसूची 'क' पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 के ऐसा न करने पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 के
धारा 5 के	अनुरुप अनुरूप के पा जार्गक्त अधिनियम की धारा 12
271	ऐसा न करन पर 043
	के अभियोजित किया जा सकता है।
अधीन आप	ऐसा न करन पर उन्हुजन है।
तारीख	
(11 (1	

हस्ताक्षर उपनिबंधक विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

प्ररुप—(छ) (नियम 6 का उपनियम (3) देखें) (विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र)

(विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 के अधीन)

	प्रमाणित किया और श्रीमती में दिये गये वेवाह के ज्ञापन क्रमांकप	विवरणानुस	ार दिनांक	क्ता संर	को याको
तारीख			हरत	नाक्षर	

हस्ताक्षर उपनिबंधक विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण



प्रपत्र-ज
(नियम 6 का उपनियम (4) देखें)
(विवाह का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 के अधीन)
(विवाह के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र
(विवाह के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र
के संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना दिये जाने संबंधी प्ररुप)

ia",

o.£

ın.

धानाध्यक्ष जनपद..... श्री...... द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक...... श्री....

है। अतः उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम-2010 के नियम 6 के उप नियम 4 के अन्तर्गत सूचना उक्तवत प्रेषित की जा रही है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर उपनिबंधक विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण



In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. / XXXVI (9)/2010/stamp-09/2010 Dated for general information.

Women Empowerment and Child Development Section No.3020/XXXVI (9)/2010/stamp-09/2010

Dehradun: Dated: 12 December 2012

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010 (Uttarakhand Act No. 19 of 2010), the Governor is pleased to make the following rules for regulation of compulsory registration of marriages.

The Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Rules, 2012

Short title,
extent and
commencement

1.

- (1) These rules may be called the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Rules, 2012.
 - (2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires :--
 - (a) "Act" means the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2016 (Uttarakhand Act No. 19 of 2010);
 - (b) "Registrar General" means the Inspector General of Registration appointed under section 3 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908);
 - (c) "Marriage" means such marriage which is covered by clause (e) of section 2 of the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2014;
 - (d) "District Registrar" means the Registrar of the District appointed under section 6 of this Act and also includes the officer performing the duties of a Registrar under section 10 and 11 of this Act;



- (e) "Local Registrar" means Registrar appointed by the State Government under Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and also include a person so appointed under section 12 of above Act;
- (f) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

Jurisdiction of District Registrar and Local Registrar

3.

4.

For the purpose of these rules each Sub-Registrar under his jurisdiction shall exercise the powers and discharge the duties of Local Registrar and within the district each District Registrar shall exercise the powers and discharge the duties of Registrar.

Registration of Marriages

- (1) Any parties to a marriage, on payment of fees specified in rule 10 may get the details of this marriage entered in the marriage register kept for this purpose of the Sub-Registrar office.
- (2) The application (memorandum of marriage) as Schedule 'A' given in the Act for registration of marriage shall be given in two copies to the Sub-Registrar under whose jurisdictions the marriage was solemnized or under whose jurisdiction the husband permanently resides, but District Registrar may also accept an application at his discretion. One copy of the application shall be maintained in the office of the Sub-Registrar and one in the office of the District Registrar.
- (3) Along with the applications referred in sub-rule (2) there shall be a certificate regarding the verification of identification of parties and other details mentioned in the application which shall be given by any Member of Parliament, Member of State Legislative Assembly, Gazetted Officer, Pradhan of Gram Sabha, Sarpanch of Nyay Panchayat, Member / Chairman of Zila Panchayat, Member/ Head of Regional Committee, Member / Chairman of Municipal Board, Municipal Corporation, Town Board, Cantonment Board, namely, corporator/ Member/Councilor/ Chairman of local body



and in case any party to the marriage is a resident of a place outside India, the N.O.C letter of confirmation regarding the verification of that party's identification and other details given by the Consul or Deputy Consul situated in India of the country of which the party is a citizen, shall be compulsorily enclosed the application.

Register/ Registration file of Compulsory Marriages

- 5. (1) The application received for registration of marriage shall be entered serially by the registering officer in Schedule 'b' given in the Act.
 - (2) The entry regarding rejection of application received for registration of marriage shall be made by registering officer serially in Schedule 'c' given in the Act.
 - (3) Registering officer, in the main page of a plain register issued to him, shall certify the number of pages actually entered and also write the date of receipt / commencement of register. Serial number shall also be entered on the registers used by the registering officer.
 - (4) At the end of each calendar year, the registering officer shall certify the number of registered application during that year and when a register is filled the registering officer shall also certify the number of registered application during that year and when a register is filled the registering officer shall also certify the number of the rejected application in that particular register.

Submission / Endorsement of Application

6. (1) Each application along with its second true copy shall be submitted before the registering officer and its execution shall be accepted by the bride. The identification of bridegroom and bride shall be made by two witnesses who will submit required proof regarding their own identification. The registering officer shall duly sign and endorse the application and its second true copy on the reverse side with following endorsement, namely:--

•			
"Shri	son	of	Shri
	reside	nt	of
Identification No.	• • • • • • • • • • •		
submitted the memorandum	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. the	date
of his marriage to day dated	at office	of	Sub-
Registrar the contract of	which v	vas	also
accepted by Mrs	wife /	daug	ghter
of Shri			-
identification No			
who was identified by Shri	son	of	Shri
resident of		• • • • •	
Identification No and Shri			
son of Shri resident of			
identification No"			
Signatu	re		

Registrar

Compulsory Registration of Marriage

Signature and thumb impression

Signature and thumb impression

Bridegroom

Bride

Signature and thumb impression

Signature and thumb impression

First Witness

Second Witness

- (2) After completion of proceeding as above, the registering officer shall complete the related entries in Schedule 'b' given in the Act enclosed with these rules and take signatures and thumb impressions of bridegroom and bride and both the witnesses. After that the registering officer shall release the certificate prescribed in Schedule 'd' given in the Act.
- (3) In case the declaration of marriage submitted before registering officer does not fulfill the prescribed formalities, he shall, after



entering it issue the form of rejection of application prescribed in Schedule 'e' given in the Act.

- (4) In case of declaration of marriage is submitted before a registering officer and according to the details/evidences given the declaration the bridegroom or the bride is minor, the registering officer shall issue the forms of rejection of application prescribed in Schedule e' given in the Act and shall inform the local police on form prescribed in Schedule 'f' given in the Act.
- officer shall file the compulsory registration under any other Act, namely- (a) Indian Christian Marriage Act, 1872; (b) Kazis Act, 1880; (c) Parsi Marriage and Divorce Act, 1936; (d) the Hindu Marriage Act, 1955; (e) the Special Marriage Act, 1954; (f) the Foreign Marriage Act, 1969 and Marriage Memorandum registered under any other prevailing Act also in addition to above, in separately maintained date wise register.
 - (6) Under the provisions of section 13 the said Act the registering officer, on his own initiative or information that a certain marriage has not been registered, shall issue notice to the parties on the form prescribed schedule 'g' given in the Act.

Sending of Application Forms

7.

On seventh day of every month or prior to that date the registering officer shall send to the District Registrar by registered post or by hand, duplicated copies of all the applications received during the previous month along with a covering letter which shall contain serial number of duplicate copies of application sent, and if no application was received during the previous month, shall send a letter indicating that no application was received.

Second copies

8. On receiving second copies of the application form send under rule 7, the District Registrar shall maintain such second copies in the office of District Registrar.

Binding of Application form and Marriage Registration Certificates

9.

The Registrar shall get the binding done of applications receiving them serially under rule 4 and of marriage registration certificate issued. One binding shall contain 400 pages and it shall be permanently maintained in the office.

Application Fees

- (1) Fees for accepting applications for registration of marriage-10.
 - (a) ₹ one hundred, in case the application is made within ninety days from the date of solemnization of marriage. It shall be paid in cash to the registering officer;
 - (b) ₹ two hundred, in case the application is made after ninety days from the date of solemnization of marriage and it shall be paid in cash to the registering officer.
 - (2) For receiving a copy of marriage registration certificate, the fees shall be ₹ fifty to be paid in cash to the registering officer. Application for certified copy shall be made in Form No. 28 of Annexure-1 of Registration Manual Part-2. A court fee of ₹ One shall be affixed to it and ₹ Ten stamp fee shall be payable. For ordinary copy, fees payable shall be ₹ Twenty Five, the copy shall be provided within a week. Fees for urgent copy shall be ₹ Fifty and it shall be provided with three days. For very urgent copy the fees shall be ₹ One Hundred and it shall be provided next day. Applications for certified copy shall be entered in a register provided in Form No 9 Annexure-1 of Registration Manual Part-2.
 - (3) Fees for inspection -
 - (a) ₹ Twenty Five, in case the entry is for current year;
 - (b) ₹ Fifty, in case the entry is for the previous year, similarly, ₹ Ten extra for every previous year.
- (4) Application for inspection is to be made in the Form No. 30 of Annexure-1 of Registration Manual Part-2 and ₹ 10 is to be paid as application fee in addition to inspection fee. Application for inspection shall be entered into the register provided in Form No. 11 of Annexure -1 of Registration Manual Part-2.

Format of receipt

11. Form acknowledging the fees paid under these rules, a receipt shall be issued from receipt book as provided in Form No. 8 Annexure-1 of Registration Manual Part-2.

Fees Receipt Register 12.

13.

The registering officer shall maintain or arrange to maintain a fees receipt register as provided in Form No 13 Annexure-1 of Registration Manual Part-2. All the fees received as per rules shall be entered daily in fees receipt register and the registering officer shall sign it to verify the total receipt of fees during the day. The amount received daily shall be deposited in treasury on next working day.

Powers/ Duties of Registering Officer

- (1) In case the application received by the registering officer under rule 4 is incomplete or faulty or in case the fees specified in rule 10 is not paid for any certified citation from Hindu Marriage Register, the registering officer shall require the parties to the marriage to rectify the fault or to pay the above fees, as the case may be, with in a period specified by him. If it is not done so the application shall be rejected.
 - (2) In case the registering officer receiving such application has no jurisdiction to receive it, he shall return it to the applicant for submitting it before the proper authority.
 - (3) In case the registering officer objects to any application received for registration he shall send it to District Registrar who will decide on the matter and his decision shall be final, subject to any decree or order of any competent court, in connection with the action on application.
 - (4) The details of all such applications which are returned or whose registration is rejected as above shall be entered in relevant register.
 - (5) The registering officer shall not be responsible for any bonafide refusal to register a memorandum of marriage by him. The District Registrar shall not take cognizance of any such cases.



- Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 201 (Uttarakhand Act No. 19 of 2010), the approval of Registrar General shall be taken before making any complaint to the court under sub-section (2) of section 15 regarding the registering officer by the District Registrar. Such approval shall be given or action shall be taken by the Registrar General only after hearing the concerned Registering officer and after due consideration otherwise shall be made disciplinary proceeding.
- (7) The registering officer shall have no concern to the trueness or authenticity of the facts described in request letter/ declaration letter regarding the registration of memorandum of marriage received by him. Such points shall be judged by the competent court when necessary.
- (8) No any right of consideration in relation of truthness and validity of mentioned married in the received marriage memorandum to him of Registering Officer. Such matters shall be judge by the competent authority when necessary.

- Superintendence 14.

 The Registering Officer/Sub-Registrar/Local Registrar shall discharge his duties and exercise his powers under the general the Ex-officio Registrar General for the whole State.

 The Registering Officer/Sub-Registrar/Local Registrar shall discharge his duties and exercise his powers under the general the Ex-officio Registrar General for the whole State.
- of application

 The Registering Officer shall keep the draft of application for their options.

 The Registering Officer shall keep the draft of application for their options.

 Maintenant
- of Registers
 and Records
- 16. (1) All the registers provided in the rules and indexes specified in rule
 17 shall be sent to the Central Record Room at headquarter of
 registration district after six years of being filled up and shall be
 permanently kept there.



(2) All the other records such as all enclosures received with the declaration of marriage; applications received for inspection of registers; applications and registers submitted for getting citations from registers and general correspondence and all letters etc. shall be destroyed after completion of one year, receipt books in three years, fees receipt register and challans in six years after taking permissions from District Registrar by the Registering Officer.

Making index of entries in marriage register

- 17. (1) The index of all entries in marriage register shall be made in schedule register draft 'h' enclosed with these rules, entries in this shall be made by the name of bridegroom and the name of bride and the fees for such entries shall be as under:--
 - (a) ₹ Twenty Five in case the entry is for current year;
 - (b) ₹ Fifty in case the entry is for the last year and similarly₹ Ten extra for every previous year.
 - (2) It shall be available for inspection by any one.

Others

- 18. (1) Registration of all marriages under the Uttar Pradesh Hindu Marriage (Registration) Rules, 1973 prevailing in Uttarakhand shall be accomplished under the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Rules, 2011 from such date which may be fixed as the date of coming into force the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Rules, 2011.
 - (2) In cases where there is no mention of any procedural facts, the procedure of registration of marriage covered by the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010 (Uttarakhand Act No. 19 of 2010) shall be accomplished according to the rules prescribed in Registration Act/Rules regarding the facts of reference.

By Order,

s. Rail

Principal Secretary.

Schedule 'A'

Memorandum of Marriage

(Section 5 and 6)

Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010

(It is mandatory to fill all the entries of this form)

To,								
	Registra	ır,		Carriage				5
	Compul	sory Regist	ration of iv	iaiiiage,				
	District							
÷ *	Uttarak	hand.						
con'	ersigned vention,	parties of tradition ap	oplied to th		ns per provision marriage be reg	s applied	d to us	and we
Cor	upuisory	10glock area						
			<u>Par</u>	ticulars of	Marriage			
1. 2.	Place	of Marria	ge	d easily)	(with s	GILLOTO		
3.	Partio	culars of br	idegroom.			,		
	a) b)	Full name	and occup	oation (only	particulars	to	be	filled)
	c)	Age						
	d)	General	place of liv	ing (with P	IN Code)	PI	N	Code)
-	e)	Permane	ent	Address	(with			*********
		******	.,		*******			
				· 10	Øb			

f)	Address at the time of making application (PIN code)
g)	Status at the time of marriage – unmarried/widows/Divorcee Particulars/serial no. of identification proofs.
Date:	Signature of bridegroom
4.	Note: - Regarding point no. a to g above, a verified copy of necessary certificate, namely voter I.D card issued by Indian Election Commission or PAN/GIR issued by Income Tax Department or Photo Identity Card issued by a government department/ government undertaking/local body or pass book of a bank or Post office wherein the photograph has been verified or Pension book or disability certificate or Arms certificate or freedom fighter identification certificate or birth certificate or death certificate of spouse in case of a widower or decree of divorcee by a competent court, in case of a divorcee or any other certificate, regarding the age of the parties making the application and time of being present for registration of memorandum of marriage, verified copy of marriage invitation, if the date of marriage is earlier than two years before or verified copy of any other certificate regarding the place of solemnization of marriage should be enclosed. Particulars of bride a) Full name and occupation
	d) General place of living (with PIN code)
	e) Permanent address (with the first of making application (with PIN code)
D.	te
ра	₩

Note:- Point no. a to g above, a verified copy of necessary certificate, namely voter I.D card issued by Indian Election Commission or PAN/GIR issued by Income Tax Department or Photo Identity Card issued by a government department/ government undertaking/local body or pass book of a bank or Post office wherein the photograph has been verified or Pension book or disability certificate or Arms certificate or freedom fighter identification certificate or birth certificate or death certificate of spouse in case of a widow or decree of divorcee by a competent court, in case of a divorcee or any other certificate, regarding the age of the parties making the application and time of being present for registration of memorandum of marriage, verified copy of marriage invitation, if the date of marriage is earlier than two years before or verified copy of any other certificate regarding the place of solemnization of marriage should be enclosed. Full particulars of the father of the bridegroom: -Full name 5. Age a) Occupation b) General place of living c) application d) making of time the Address e) ' If living or dead? f) Signature of father of the bridegroom Date: Note: - Signature of father of the bride is not obligatory. 6.

Vote:	- Signature of father of the bride is not obligatory.
Partic	plans of father or guardian of the bride.
1)	7. 11. 200
b)	Age
c)	
d)	General place of living
e)	Address at the time of making application (with PIN code)
	Address at the state of the sta
f)	Relation of guardian of the bride

Date:	•			Signature of father or guardian
	When year when	re the as	ignature of father o	of the bride the date of making application, is above 18 r guardian of the bride is not obligatory but date of making application is below 18 years emnized as per law in force at that time, the
	and sign	such m ature of	f father or guardian	of the bride shall be obligatory.
7.	Particu	ulars of	officiating priest	
:	a) b) c) d) Note:	Full na Age Genera Addres - If or age, the	me If place of living Is the date of applic	ation, one year has passed since the date of the particulars of officiating priest are not
Date:		-		Signature of officiating priest
are corre	nnizati orrect ct as p	on of o to the	ndersigned solemnlour marriage is conc best of our knowled	y declare under oath that as far as the serned, the particulars given in the application age and other are based on information and are information given is found incorrect, the whole od help us.
8.	Sign		f bridegroom	Signature of bride Date:
9	(1).	Witna) b) c)	Full name Father's name Resident of (with	PIN code)

Signature Date:



(2).	Witne	ess
(2).	a)b)c)d)	Full name Father's name Resident of (with PIN code) Particulars/serial no. of identification proofs
	,	•

Signature Date:

Note:- Regarding the identification of witness a verified copy of necessary certificates namely voter I.D card issued by commission on PAN/GIR issued by Income Tax Department or Photo Identity Card issued by a government department/government undertaking/local body or pass book of a bank or Post office where in the photograph has been verified or Pension book or disability certificate or Arms certificate or freedom fighter identification certificate.

Verified by Name/Designation

Signature and Seal Date:

(Shall be given by Member of Parliament, Member of State Legislature, Gazetted officer, Pradhan of Gram Sabha, Sarpanch of Nyay Panchayat, Member/Chairman of Zila Panchayat, Member/Head of Regional Committee, Member/Chairman of Municipal Board/Municipal Corporation, Town Board, Cantonment Board, i.e., corporator / Member /councilor/Chairman and in ease any party to the marriage is a resident outside of India, a letter of confirmation/NOC given by the Consul/ Deputy Consul of the country of his citizenship, situated in India.

Note: - Where any person does not verify the identity of both the parties and all the other particulars, one or more persons may verify it.

Ø

Draft - B

(Vide sub-rule (1) of Rule 5)

(Register of Registration of Marriage) Under the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010

	0	7	2					
9	6		number				. ,	
	numper	number	serial					
	serial	serial	along with	serial number	r			
	along with	along with	particulars	along with				
	particulars	particulars	and identity	particulars		70		
	and identity		impression	and identity		application		
	impression		thumb	impression		the		
Cel IIIIcare	thum ^D	thumb	address,	thumb		submitting		
oostificate		address,	name and	and address,	,	person		
issue of		PI escar	tather's	father's name		address of the		
and date of	present	present				name and		— , -
of Marriage	name his	name his	mother's or		3	Fauters	of application	Zo.
		witness	name, her	name, his	Marriage	Lother's	Date of submission	2
Registration		LITAL	Bride's	Bridegroom's	Date of	Name,	Date of submission	
Number of	Second	First	Daidale					

Draft - C

(Vide sub-rule (1) of Rule 5)

(Register of Reversion or Rejection of Application)

Under the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010

Reason for

Reason 10r	Reversion	or	Rejection				
Reverted	0.5	Rejected				9	
Date	Daily of	Morriage	Marriage				vo.
	Names of parties	to the marriage,	Name of their	parents or	guardian and	address	4
4	Name of person	making the	application, his	Father's name and	address	•	3
	Date of	enbmission.	40	onnlication	appiicanon		7
	0.18	. No.					-

<u>Draft - D</u>

(Vide sub-rule (1) of Rule 6)

(Certificate of Compulsory Registration of Marriage)
Under the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2010

	N.
This is to certify that as per parti	cular given in Memorandum of Marriage
of Shri	Son of Shri Resident of
dated of Siny and Shrimati	wife of Shri
resident of	the Memorandum of
t t at	has been entered at serial
Marriage solemnized on	of volume no
no at page no	
Date	Signature
Date	Registrar
	Compulsory Registration of Marriages
Dr	aft – E
(Vide sub-ru	le (2) of Rule 6)
(Draft regarding return or r	ejection of application submitted
for compulsory re	gistration of marriage)
The day the Uttarakhand Compulso	ry Registration of Marriages Act, 2010
Officer the Octavanian	
The application dated submit	ted by Shri which has been
I S registration of marriage solem	nized between Shri and
made for registration of marriage on (d	ate)as per memorandum, is being
Shrimati sub-rule of Rule 13	of Uttarakhand Compulsory Registration of
returned under sub-fulle by Kare 13	easons: -
Marriage Act, 2010 for the following re	
*****	***************************************
the Conformation	(2) of Rule - 3 the application is entered in
and under clause (d) of of sub-fule	E Payarsian and Rejection register.
serial no Year 0	Keyerston and registration of
Date	Signature
Date	Registrar
	Compulsory Registration of Marriages

1

Draft - F

(Vide sub-rule (3) of Rule 6)

Under Uttarakhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2010
(Draft regarding information to be given to local police
in connection with the application submitted for
compulsory registration of Marriage)

The Police Station Officer,	
District	
This is to inform you regarding the Shri for registration of mand Shrimati memorandum, that the age of Shri years accordingly he is a minor.	on (date)as per the
Therefore above information is being the Uttarakhand Compulsory Registration of Mar	given as per sub-rule (4) of Rule – 6 of riage Act, 2010.
Date	Signature

Registrar
Compulsory Registration of Marriages

8

Draft - G

(Vide sub-rule (5) of Rule 6)

(Draft of notice in case of non-registration)
Under Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010

To,	
Shrimati/Shri	······································
not necessarily) that the marriage had name of bride and bridegroom) on (date of the life is hereby expected from the life is hereby expected from the life is hereby expected from the life in the life is not not necessarily).	ne source is known, it may be mentioned, but s been solemnized between you (mention the te)
Date	Signature
	Registrar Compulsory Registration of Marriages

<u>Draft – H</u>

(Vide Rule 17)

(Draft of making index of entries in Marriage Register)
Under Uttarakhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2010

Name, Father's Name and Address	Date of submission of declaration	Date of Marriage	Parties in . the declaration letter of marriage	Date of entering of declaration letter	Vol. No.	Page No.	Serial No.
1	2	3	4	5	6	7	8
•							
					_]		

Draft - B (Vide clause (d) of sub-rule (2) of Rule 3)

Register of Reversion or Rejection of Applications

SI. No.	Date of submission of application and Name of person making application	Parties to the marriage and Date of Marriage	Reverted or Rejected	Reason for Reversion or Rejection	
1	2		·		

<u>Draft – C</u>

(Vide proviso to sub-rule (2) of Rule 5)

Marriage Registration Acknowledgement Form

Marriage Registration	Acknowledgement Form
Application for registration of ma	rriage between Shri and Shrimati
has been submitted b	y Shri
	Signature
Date	Deputy Registrar Compulsory Registration of Marriages
$\mathbf{\underline{D}}_{1}$	raft - D
(Vide sub-r	rule (2) of Rule 6)
· Form 0	of Declaration
nula 6 (certificate en	is received by me on (date) closed) and entered in serial no of der Uttarakhand Compulsory Registration of
	Signature
Date	Deputy Registrar Compulsory Registration of Marriages

Draft - E

(Vide sub-rule (3) of Rule 6)

Draft of notice in case of non-registration

Under Uttarakhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2010

To,
Shrimati/Shri
It has come to the notice (if the source is known, it may be mentioned, but
not necessarily) that the marriage has been solemnized between you (mention the
name of bride and bridegroom) on (date) at (place)
It is hereby expected from you that you submit your Memorandum of
Marriage for registration before the undersigned in format prescribed in schedule
'A' as per Section - 5 of Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act,
2010, on not doing so you may be prosecuted under Section - 12 of the above Act.
Date Signature
Registrar
Compulsory Registration of Marriages
<u>Draft – F</u>
Vide subrule (3) of Rule 6
(Certificate of Compulsory Registration of Marriage)
Under Compulsory Registration of Marriage Act, 2010
Chuci Compuisory Registration of Marriage Act, 2010
This is to certify that as per particulars given in Memorandum of Marriage
dated of Shrison of Shri and
Shrimati the Memorandum of
marriage solemnized on (date) has been registered at serial no at
page no of volume noon (date)

Signature

Deputy Registrar Compulsory Registration of Marriages

**

Form - G

Vide sub-rule (4) of Rule 6

(Under Compulsory Registration of Marriages Act, 2010)

(Draft regarding the information to be given to local police in connection with

the application submitted for compulsory registration of marriage)

the app.	
The Police Station Officer,	
Regarding the application dated which as per memorandum has been su solemnized on (date)	aintained in office, this is to inform you age of Shrison of is shown asyears.
	Signature
Date	Deputy Registrar Compulsory Registration of Marriage.